

बिल का सारांश

एनिमी प्रॉपर्टी (संशोधन और वैलिडेशन) बिल, 2016

- गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 मार्च, 2016 को एनिमी प्रॉपर्टी (संशोधन और वैलिडेशन) बिल, 2016 को लोकसभा में पेश किया। यह बिल 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और 1971 के सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जा हटाना) एक्ट में संशोधन करता है। यह एनिमी प्रॉपर्टी (संशोधन और वैलिडेशन) अध्यादेश, 2016 का स्थान लेगा।
- केंद्र सरकार ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चीन के नागरिकों की कुछ प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया था। इन प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार के अंतर्गत गठित कार्यालय 'कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी' में निहित कर दिया था। 1968 का एक्ट इन एनिमी प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है और कस्टोडियन की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है।
- पूर्ववर्ती प्रभाव: यह बिल अध्यादेश जारी होने की तारीख 7 जनवरी, 2016 से लागू माना जाएगा। हालांकि इसके कई प्रावधान 1968 के एक्ट के शुरू होने की तारीख से ही लागू होंगे। इसके कारण ही एनिमी प्रॉपर्टी का छोड़ा जाना (डायवैस्टमेंट) (जैसे कस्टोडियन से प्रॉपर्टी के मालिक या अन्य व्यक्ति को लौटाया जाना) और हस्तांतरण जो 7 जनवरी, 2016 से पहले हो चुका है और बिल के प्रतिकूल जाता है, अमान्य हो जाएंगे।
- एनिमी की परिभाषा: 1968 के एक्ट ने एनिमी को ऐसे देश (और इसके नागरिकों) के रूप में परिभाषित किया है जिसने भारत के खिलाफ बाहरी आक्रमण किए हैं (जैसे पाकिस्तान और चीन)। बिल इन्हें भी शामिल करने के लिए इस परिभाषा का दायरा बढ़ाना चाहता है: (i) एनिमी के कानूनी वारिस, यदि वे भारत या किसी ऐसे देश के नागरिक हों जो एनिमी न हो, तो भी, (ii) एक एनिमी देश के नागरिक जो बाद में अपनी नागरिकता बदलकर दूसरे देश के नागरिक बन गए हों, इत्यादि।
- संपत्ति का निहित बना रहना: 1968 के एक्ट ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के बाद एनिमी प्रॉपर्टीज को कस्टोडियन में निहित किए जाने की अनुमति दी थी। बिल यह स्पष्ट करने के लिए कानून में संशोधन करना चाहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में भी एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन में निहित रहेगी: (i) एनिमी की मृत्यु होने पर, (ii) कानूनी वारिस के भारतीय होने पर, (iii) एनिमी के अपनी नागरिकता बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाने पर, इत्यादि। बिल आगे प्रावधान करता है कि एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन में निहित किए जाने का अर्थ होगा कि प्रॉपर्टी के समस्त अधिकार, स्वामित्व (टाइटिल) और हित कस्टोडियन में निहित होंगे। इन प्रॉपर्टीज पर उत्तराधिकार संबंधी कोई भी कानून या प्रथा लागू नहीं होगी।
- लौटाया जाना: 1968 का एक्ट प्रावधान करता था कि केंद्र सरकार किसी एनिमी प्रॉपर्टी को कस्टोडियन से संपत्ति के मालिक या अन्य व्यक्ति को लौटाए जाने का आदेश दे सकती है। बिल में यह प्रावधान बदल दिया गया है और केवल उसी स्थिति में प्रॉपर्टी मालिक को लौटाए जाने की अनुमति है जब कोई पीड़ित व्यक्ति सरकार को आवेदन दे और संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी न पाई जाए।
- बिक्री का अधिकार: 1968 के एक्ट में केवल उन्हीं स्थितियों में कस्टोडियन द्वारा एनिमी प्रॉपर्टी की बिक्री की अनुमति थी, यदि ऐसा करना प्रॉपर्टी के संरक्षण के हित में हो या भारत में एनिमी या उसके परिवार का रखरखाव सुनिश्चित करना हो। बिल इस अधिकार का दायरा बढ़ाकर कस्टोडियन को एनिमी प्रॉपर्टी की बिक्री या निस्तारण का अधिकार देता है। कस्टोडियन केंद्र सरकार द्वारा निश्चित समय सीमा में ऐसा कर सकता है, किसी विपरीत अदालती फैसले के बावजूद।
- एनिमी द्वारा हस्तांतरण: 1968 का एक्ट इन स्थितियों में एनिमी द्वारा एनिमी प्रॉपर्टी के हस्तांतरण पर रोक लगाता है, यदि (i) यह जनहित के खिलाफ हो या

(ii) कस्टोडियन को प्रॉपर्टी की सुपुर्दगी से बचने के लिए ऐसा किया गया हो। बिल में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है और एनिमी द्वारा किसी प्रॉपर्टी के हस्तांतरण की मनाही है। इसके अतिरिक्त 1968 का एक्ट लागू होने से पहले या बाद के सभी हस्तांतरणों को अमान्य करता है।

- अधिकार क्षेत्र की पाबंदी: बिल में यह प्रावधान है कि सिविल कोर्ट और अन्य अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी के खिलाफ या केंद्र सरकार या कस्टोडियन द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई के खिलाफ मामलों को दर्ज नहीं करेंगे।
- कस्टोडियन के अधिकार: 1968 का एक्ट कस्टोडियन को एनिमी प्रॉपर्टी के संरक्षण तथा एनिमी प्रॉपर्टी से होने वाली आय से एनिमी और उसके परिवार के रखरखाव के प्रबंध का अधिकार देता है, अगर वे भारत में रहते हैं। बिल में एनिमी और उसके परिवार के

रखरखाव की जिम्मेदारी हटाए जाने का प्रावधान है। 1968 का एक्ट इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कस्टोडियन को कुछ उपायों की अनुमति देता था (एनिमी प्रॉपर्टी की बिक्री, बंधक रखने या लीज पर देने सहित)। बिल इन स्वीकृत उपायों में इन्हें भी जोड़ने का प्रावधान करता है: (i) किराया और लाइसेंस फीस आदि तय करना और लेना और (ii) अनाधिकृत दखल करने वालों को निकालना और इन प्रॉपर्टीज से अनाधिकृत निर्माण हटवाना। सार्वजनिक परिसर एक्ट, 1971 में सार्वजनिक परिसरों से अनाधिकृत दखल करने वालों या निर्माण को हटाए जाने को रेगुलेट करता है। बिल में इस कानून को संशोधित कर एनिमी प्रॉपर्टी को भी सार्वजनिक परिसरों की परिभाषा के दायरे में लाए जाने का प्रावधान है।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।